

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(GENERAL INFORMATION RELATING TO LEGISLATIVE & OTHER MATTERS)
Thursday the 24th August 2000/Bhadrapada 2,1922(SaMa)

No. 103

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from the SHO, Police Station, Mehrauli, New Delhi/South District Police Control Room:-

" Shri Subhash Chopra, MIA, Shri Tek Chand Sharma, MIA and Shri Mahender Singh Bhattewala^{MIA} were detained by the Police under section 65 of the D.P. Act at Police Station, Mehrauli at 1350 Hrs. on 17/8/2000 for disobeying the lawful directions of the Police at Andheria Mode.

They were released at 1620 Hrs. from the same place and on the same day i.e. 17/8/2000."

S.K. SHARMA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारो ॥
बृहस्पतिवार 24 अगस्त, 2000/भाद्रपद 2, 1922 ॥ शक ॥

संख्या: 103

सदस्यों की नजरबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दि.वि.सभा को संबोधित थाना महरोलो, दिल्ली/
दक्षिणी जिला पुलिस कंट्रोल रूम का निम्न लिखित संदेश प्राप्त हुआ:-

" दि.वि.स. के माननीय सदस्यों सर्व श्री सुभाष चौपडा, टेकचन्द शर्मा तथा महेन्द्र सिंह भट्टेवाला को दिनांक 17.8.2000 को समय 13.50 बजे दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत पुलिस के विधि सम्बन्धित निर्देशों की अज्ञात करने के कारण थाना महरोलो द्वारा अंधेरिया मोड़ से नजरबन्द किया गया ।

उन्हे वहाँ से उसी दिन अर्थात् 17.8.2000 को समय 16.20 बजे रिहा कर दिया गया ।"

एस.के.शर्मा
सचिव